

न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री शिवप्रसाद एम.नकाते आई.ए.एस.

अपील संख्या 112/2017

अपीलांत

कल्याणसिंह पुत्र केसरसिंह राठौड़
निवासी सेतराऊ हाऊस सरदारपुरा
बाड़मेर

बनाम

रेस्पोंडेंट

सहायक लोक सूचना अधिकारी,
तहसीलदार, रामसर



प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक 22.01.2018

1. अपीलांत ने यह अपील सहायक लोक सूचना अधिकारी—तहसीलदार रामसर से चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने के फलस्वरूप धारा 19(1)सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत हमारे समक्ष पेश की हैं।
2. संक्षेप में अपीलांत की अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांत ने सहायक लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, रामसर को आवेदन पत्र प्रेषित कर आवेदन के बिन्दु संख्या 01 से 06 में वर्णित सूचना चाही गई थी। अपीलांत का यह कथन है कि सहायक लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार रामसर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराई है। इसलिये अपीलांत को सूचना उपलब्ध कराई जाए।
3. अपील अपीलांत दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पोंडेंट को जवाब हेतु नोटिस जारी किया। जवाब में यह बताया कि वांछित सूचना जरिये डाक द्वारा उपलब्ध करवा दी गई है।
4. हमने अपील पत्रावली एवं रेस्पोंडेंट से प्राप्त जवाब का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांत द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र के बिन्दु संख्या 01 से 06 में वर्णित सूचना की प्रमाणित प्रतिलिपि चाही गई थी। सहायक लोक सूचना अधिकारी, रामसर से प्राप्त जवाब अनुसार वांछित सूचना जरिये डाक द्वारा भिजवा दी गई है। अतः अपीलांत को उसके द्वारा आवेदित सूचना उपलब्ध करा दी गई है। वस्तुतः अपीलांत ने उक्त सूचना प्रेषण के उपरान्त किसी प्रकार का कोई प्रतिकार प्रेषित नहीं किया है। इस आलोक में, वर्तमान अपील में अब अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं देखते हुए, यह अपील खारिज किये जाने योग्य है।

जिला कलक्टर
बाड़मेर

5. अतः अपील की अपील उक्तानुसार खारिज की जाती है।
6. निर्णय की प्रतियां उभय पक्ष को प्रेषित हो।
7. निर्णय आज दिनांक 22.01.2018 को सुनाया गया।



(शिवप्रसाद एम.नकाते)
जिला कलेक्टर, बडमेर
जिला कलेक्टर
बाडमेर